

- (क) लेख, गाय की रोटी कुत्ता खाय।
- (ख) लेख, मंहगाई का हल्ला या यथार्थ।
- (ग) वैद्यनाथ चौधरी द्वारा बोट न डालने की चर्चा और मेरी समीक्षा।
- (घ) रवीन्द्र सिंह पत्रकार द्वारा पूंजीवाद का विरोध और मेरी समीक्षा।

(क) गाय की रोटी कुत्ता खाय

लोक तंत्र के तीन स्तंभ माने जाते हैं 1 विधायिका 2 न्यायपालिका 3 कार्य पालिका। पूरे विश्व में लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बढ़ी और वही तानाशाही का एकमात्र विकल्प मान लिया गया। लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के पास अधिकार भी बढ़े और शक्ति भी और इसी अनुपात में लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में विकृतियाँ भी बढ़ी। आज लोकतंत्र वरदान है या अभिशाप यह भी एक चर्चा का विषय बन गया है।

राज्य और समाज के बीच मीडिया मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। मीडिया दोनों पक्षों को सलाह भी देता रहता है और सूचनाएँ भी। मीडिया राज्य और समाज के बीच जीवंत संवाद की स्थितियाँ बनाता रहता है। आदर्श स्थिति में मीडिया न राज्य के पक्ष में होता है न समाज के पक्ष में क्योंकि उसकी तो भूमिका ही मध्यस्थ तक सीमित रहती है।

पिछले कुछ वर्षों से मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनने की धून सवार हुई। उसने धीरे धीरे स्वयं को चौथा स्तंभ मानना भी शुरू किया और उसी अनुसार मीडिया का सम्मान तथा समाज पर दबाव भी बढ़ा। मीडिया के लोग शक्तिशाली हुए। और ज्यों ज्यों मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनने लगा और उसके पास राज्य की शक्ति और प्रभाव बढ़ने लगा, उसी के अनुपात में मीडिया में लोकतंत्र के गुण और अवगुण भी बढ़ते गये। आज यदि समीक्षा करे तो प्रभाव की दृष्टि में भी मीडिया लोक तंत्र का चौथा स्तंभ बन गया है और गिरावट के स्तर पर भी।

अभी अभी सम्पन्न दो हजार नौ के आम चुनावों में मीडिया का पतित स्वरूप स्पष्ट दिखा। बड़े बड़े अखबारों के मालिकों ने अपने आदर्श मीडिया को छोड़कर मीडिया का खुलकर व्यापार किया। विज्ञापनों को समाचार के रूप में प्रस्तुत किया गया। या तो राजनैतिक दलों से ही सौदे बाजी कर ली गई या उम्मीदवारों से। समाज को पता ही नहीं चला कि कौन सा समाचार विज्ञापन है और कौन सा यथार्थ। बहुत पहले यह कार्य चोरी चोरी स्थानीय कार्यकर्ता करते थे जो बाद में बड़े पदाधिकारियों तक बढ़ गया और अब तो खुले आम अखबारों के मालिक लोगों ने यह व्यापार किया।

कुछ इक्का दुक्का मीडिया कर्मियों ने इस व्यापार के विरुद्ध आवाज उठाई। प्रभाष जी जोशी ने इसके खिलाफ कई लेख लिखे। प्रथम प्रवक्ता पाक्षिक ने तो इसके खिलाफ एक अभियान ही छेड़ दिया। कई प्रमुख लोगों ने अपने विचार दिये। पूर्व के केन्द्रीय मंत्री हरमोहन धवन, समाजवादी नेता मोहन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के लालजी टंडन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अतुल अन्जान जी आदि ने अपनी आप बीती बताई। किस तरह खुलकर पैसे मांगे गये? बाकायदा मालिक लोगों ने मांगे। खुलकर मांगे। व्यावसायिक तरीके से मांगे। किसी भी तरह पैसे मांगने में कोई शर्म भाव नहीं था। पूरी तरह मोलभाव किया गया। खास बात यह भी कि उन अखबार मालिकों ने भी कोई लेहाज नहीं किया जिन्हे इन नेताओं ने राजनैतिक लाभ पहुँचाया था। प्रथम प्रवक्ता ने अपनी पत्रिका के मुख पृष्ठ का शीषक दिया “बिकाऊ मीडिया खरीददार नेता”। अखबारों का अनुभव इस शीर्षक के सर्वथा उपयुक्त था।

इन सब सच्चाइयों के आधार पर स्पष्ट है कि अखबारों के चरित्र में गिरावट आई। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या यह गिरावट वर्तमान लोकतांत्रिक संस्कृति के विपरीत है? वर्तमान लोकतंत्र के तीन प्रमुख स्तंभ हैं 1 विधायिका 2 कार्य पालिका 3 न्यायपालिका। वर्तमान लोकतांत्रिक चरित्र के अन्तर्गत विधायिका पूरी तरह व्यवसाय बन गई है। कार्यपालिका का चरित्र अपवाद स्वरूप ही व्यवसाय बनने में कुछ कम हो। न्यायपालिका उस दिशा में तेजी से बढ़ रही है। यदि लोकतंत्र के तीन स्तंभ पूरी तरह व्यावसायिक बन चुके हों और मीडिया धीरे धीरे उसी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बन रहा हो तो इसमें किसी को इतनी हाय तोबा क्यों मचानी चाहिये? लोकतंत्र के अन्य तीन स्तंभों के बाद ही तो मीडिया उस राह पर चला है। सबसे आश्चर्य तो इस बात का है कि मीडिया के व्यवसायीकरण की आलोचना वह वर्ग कर रहा है जिसके बहुमत ने

मीडिया को चुनावों में खरीदा हो। जिन लोगों ने मीडिया को करोड़ो रुपये चुनाव में दिये वे किन राजनैतिक दलों के लोग थे ? या वे किस बिरादरी के लोग थे ? हमारे निन्यान्वे प्रतिशत उम्मीदवार व्यवसायिक नीयत से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी एक भी गतिविधि न सामाजिक है न राष्ट्रीय। ऐसे व्यवसायी राजनेताओं को मीडिया पूरी इमानदारी पूर्वक चुनाव जिता दे तो यह होगी समाज सेवा और यदि मीडिया भी उस भ्रष्टाचार में हिस्सा ले ले तो उसका चरित्र पतन हो गया। जो उम्मीदवार धन नहीं दे सके या बिना दिये ही वह पद पाने की दौड़ लगा रहे हो वे अब बहुत हाय तोबा मचा रहे हैं कि मीडिया का चरित्र गिर गया। जब लोकतंत्र का ही कोई चरित्र नहीं बचा है तो मीडिया बेचारा क्या करे ?

आप जरा सोचिये कि यदि कोई अखबार वाला बूटा सिंह जी से चुनाव में धन ले ले तो कौन सा बहुत बड़ा अपराध हो गया ? जिन भी राजनेताओं से मीडिया वालों ने धन लिया है उन सबने कई गुना अधिक कमाने की दौड़ लगा रखी थी। दुर्भाग्य यह रहा कि अब तक मीडिया इस व्यवसाय से या तो दूर था या छिपे छिपे था किन्तु इस बार वह भी लोकतंत्र के अन्य तीन स्तंभों के साथ शामिल हो गया। इक्का दुक्का मीडिया कर्मी मीडिया की इस (अ) लोकतांत्रिक प्रगति के विरुद्ध विधवा विलाप कर रहे हैं। प्रभाष जी को दुख है कि इतने स्पष्ट आरोपों के बाद भी इस संबंध में न मीडिया में बहस छिड़ी न समाज में। प्रभाष जी को तो उम्मीद थी कि उनके लेखों से कोई तूफान खड़ा होगा किन्तु यहाँ तो साधारण हवा भी नहीं। मैं समझता हूँ कि गलती मीडिया की न होकर प्रभाष जी की हैं। लोकतंत्र के तीन स्तंभ आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। चौथा स्तंभ उन्हे रोक तो सकती नहीं। या तो आदर्श बनकर प्रभाव शून्य हो जावे या व्यावहारिक बनकर उन्हीं की लाइन पर चल पड़े। भ्रष्टाचार की मलाई खाने की दौड़ में शामिल लोगों की सहायता के लिये मीडिया ने अपना हिस्सा पहले ही ले लिया। इसमें मीडिया ने क्या अपराध कर दिया ?

लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ का आदर्श वाद छोड़कर व्यवसाय की लाइन पकड़ना समाज के लिये धातक है यह बात सही है। यदि एक एक करके इसी तरह लोकतंत्र के स्तंभ अपनी जाति बदलकर भ्रष्टाचार में शामिल होते गये तो इसका समाधान कैसे होगा ? किन्तु इस सच्चाई के साथ साथ यह बात भी सही है कि मीडिया की आलोचना इसका कोई समाधान नहीं है। राजनेताओं को तो इसलिये आलोचना नहीं करनी चाहिये कि वे स्वयं ही मीडिया से कई गुना अधिक भ्रष्ट भी हैं तथा भ्रष्टाचार के लिये ही चुनावों की दौड़ में भी है। मीडिया कर्मियों को भी इस संबंध में मीडिया की आलोचना जोर शोर से नहीं उठानी चाहिये क्योंकि लोकतंत्र के ही एक स्तंभ ने लोकतंत्र के ही दूसरे स्तंभ से लोकतंत्र को ही मजबूत करने के लिये धन लिया है। किसी अन्य वर्ग से किसी अन्य पवित्र कार्य की दौड़ में तो यह पाप किया नहीं गया है। इस तरह तो प्रभाष जी तथा अन्य लोग उन मतदाताओं को भी भ्रष्ट कहना शुरू कर देंगे जो यह देखकर कि चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवार भ्रष्ट भी हैं और भ्रष्टाचार के लिये ही चुनाव लड़ रहे हैं, अपना हिस्सा पहले लेकर ही वोट देते हैं। मैं तो पचास वर्षों से लोगों को सलाह देता रहा हूँ कि यदि आपको कोई इमानदार उम्मीदवार न दिखे तो या तो वोट ही मत दीजिये या पहले ही जो मिले वह ले लीजिये तब वोट दीजिये। ऐसे ही मुफ्त में इस भ्रष्ट दौड़ में अपना वोट देकर हाथ गंदा मत करिये।

हम राजनीति और मीडिया को एक ही तराजू पर नहीं तौल सकते। मीडिया का इमानदार होना मीडिया का कर्तव्य है किन्तु समाज का अधिकार नहीं क्योंकि मीडिया का कार्य समाज की अमानत न होकर मीडिया का व्यवसाय है। राजनैतिक पद समाज की अमानत है। राजनैतिक चरित्र राजनेताओं का कर्तव्य मात्र न होकर उनका दायित्व है। गृहस्थ की वासना और गेरुआ वस्त्र धारी सन्यासी की वासना में अन्तर है। मीडिया की चरित्र हीनता उतना गंभीर मामला नहीं है जितना राजनैतिक चरित्र पतन। दुर्भाग्य ही है कि राजनैतिक रूप से पतित लोगों की तुलना में मीडिया के चरित्र की समीक्षा करने की कोशिश की जा रही है।

मेरी अपने मीडिया के मित्रों को सलाह है कि यदि आपको ऐसा विश्वास हो कि अब चुनावों के कम से कम आधे लोग तो समाज सेवा के लिये तथा राजनीति के व्यवसायीकरण के विरुद्ध संघर्ष के लिये मैदान में हैं तब तो आप मीडिया को भी सलाह दे कि वह इस पवित्र संघर्ष में भ्रष्टाचार न करे अन्यथा हमारे मीडिया के चरित्रवान साथियों को अपनी कीमती सलाह अपने पास ही रखनी चाहिये। लोकतंत्र की पवित्रता न कार्यपालिका कायम कर सकती है न न्यायपालिका और न ही मीडिया क्योंकि ये सब तो सिर्फ विधायिका की पालकी ढोने वाले मात्र हैं। भारतीय लोकतंत्र का वास्तविक चीर हरण तो सिर्फ राजनेताओं का अधिकार है और उन्होंने स्वयं को भारतीय संविधान रूपी कवच से सुरक्षित कर रखा है। अब आप कहारों को इमानदारी से पालकी ढोने की सलाह दे रहे हैं या कहारों को अधिक से अधिक धन वसूलने की सलाह दे रहे हैं यह आपका काम है।

मैं तो चाहता हूँ कि हमें वर्तमान वातावरण मे आदर्श और शराफत की धातक शिक्षा देने की अपेक्षा या तो चुप रहना चाहिये या ठीक ठीक विश्लेषण करके समझदारी की तथा व्यावहारिक सलाह देनी चाहिये अन्यथा गाय की रोटी कुत्ता खाता रहेगा और हम अपने साथियों को और जोर शोर से गाय के नाम पर रोटी निकालने की सलाह देते रहेंगे।

(ख) "मंहगाई का हल्ला" षड्यंत्र या यथार्थ

भारत मे फिर से मंहगाई एक मुद्दा बनने लगा है। अब अनेक आवश्यक प्राथमिकताएँ पीछे छूटकर मंहगाई शीर्ष पर आने वाली है। सूखा और अकाल इस वातावरण मे और भी अधिक सहायक होंगे। एक पडयंत्र कारी लहर चलनी शुरू हो चुकी है।

कुछ बाते पूरी तरह स्पष्ट हैं

1. पिछले एक वर्ष से आम उपयोग की वस्तुएँ दाल, चावल, गेहूँ सब्जी खाने का तेल आदि मंहगी हुई है।
2. पिछले एक वर्ष से लोहा, डीजल पेट्रोल, बिजली आदि सामान अपेछा कृत सस्ते हुए हैं।
3. आम उपभोक्ता वस्तुएँ दस पंद्रह प्रतिशत मंहगी हुई हैं और खास उपभोक्ता वस्तुएँ बारह से सत्रह प्रतिशत तक सस्ती हुई हैं। मंहगाई कुल चौदह प्रतिशत घटकर शून्य से भी नीचे चली गई है।
4. आज भारत की शत प्रतिशत आबादी मंहगाई से त्रस्त है और महसूस कर रही है कि मंहगाई में उसके सामान्य वर्ग, तथा गरीब से गरीब भी शामिल हैं।

मैं पिछले पचास वर्षों से पूरे भारत मे अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो लिखता रहा हूँ कि मंहगाई का न कोई अस्तित्व है न कोई दीर्घकालिक प्रभाव। मेरा तो यह भी मानना रहा है कि षड्यंत्र पूर्वक मंहगाई का प्रचार किया जाता है। पचास वर्षों के बाद भी मैं किसी व्यक्ति को विश्वास नहीं करा सका कि मंहगाई का न दीर्घकालिक प्रभाव है न अस्तित्व। मंहगाई के समर्थक मेरे कथन से तुरन्त सहमत भी हो जाते हैं। यही एक जटिल प्रश्न है कि मेरे कथन से सहमत व्यक्ति भी एक दो धंटे बाद ही जब सामान खरीदने जाता है तब मंहगाई के पक्ष मे उसकी कमर टूटने लगती है।

न मंहगाई है न उसका दीर्घकालिक प्रभाव यह बात पूरी तरह सच है। आज से पचास वर्ष पूर्व भी ऐसा ही प्रचार था जैसा एक वर्ष पूर्व था या आज है प्रश्न उठता है कि आज जिन वस्तुओं मे पिछले वर्ष की अपेक्षा पंद्रह प्रतिशत की मुल्य वृद्धि हुई वे वस्तुएँ आज से एक वर्ष पूर्व सस्ती थीं और उस समय की मंहगी वस्तुए़ आज सस्ती हैं तो प्रश्न उठता है कि उस समय मंहगाई का आज की तरह हल्ला क्यों था? उस समय लोहा, डीजल, पेट्रोल, आदि मंहगा हो रहा था जबकि अनाज दाल गेहूँ खाद्यतेल सस्ता था उस समय भी मंहगाई का बहुत हल्ला और प्रभाव था आज उस समय की मंहगी वस्तुए़ सस्ती और सस्ती वस्तुए़ मंहगी हो गई तब भी मंहगाई का हल्ला उसी तरह है मेरे निकट सहयोगी ओम प्रकाश दुबे जी और आर.एन.सिह जी एक वर्ष पूर्व भी मंहगाई से इतने परेशान थे कि एक दिन मुझसे झागड़ने भी लगे और मैं चुप हो गया। आज स्थितियों विपरीत होने के बाद भी वे मंहगाई से त्रस्त हैं। लोहा मंहगा अनाज सस्ता हो तब भी मंहगाई से कमर टुट गई और लोहा सस्ता अनाज मंहगा हो तब भी मंहगाई से कमर टूट गई। पता नहीं इन हल्ला करने वालों की कमर किस धातु की बनी है कि साठ साल से रोज कमर टूटती है और वास्तव मे कमर कभी टूटती ही नहीं। स्वाभाविक है कि एक ऐसा गिरोह है जो लोहा मंहगा हो तब भी मंहगाई चिल्लाता है और लोहा सस्ता होकर अनाज मंहगा हो तब भी चिल्लाता है। अन्यथा दोनों विपरीत स्थितियों मे भी हल्ला एक समान क्यों?

यह पडयंत्र क्या है और इसमे शामिल कौन है। उनका स्वार्थ क्या है। सच्चाई यह है कि गरीबी, बेरोजगारी, मंहगाई, मुद्रा स्फीति सेन्सेक्स, विकास दर, आदि ऐसे शब्द हैं जो पडयंत्र के भाग हैं। जो पडयंत्र कारी है वे इन शब्दों का खूब और इतना प्रचार करते हैं कि सामान्य व्यक्ति इन शब्दों के भावनात्मक प्रभाव से प्रभावित होने लगता है जबकि न तो सामान्य व्यक्ति इनका अर्थ समझता है न प्रभाव। रात को सोने के पूर्व भूत प्रेत की चर्चा का सपने पर जो प्रभाव होता है वही प्रभाव इन सब पर साठ वर्ष से है।

इस षड्यंत्र मे शामिल है सभी राजनेता , सरकारी कर्मचारी और बड़े सम्पन्न लोग । ये लोग योजना पूर्वक कलाकारों तथा मीडिया का उपयोग करके इस भूत को जीवित किये रहते हैं। दुख है कि पूरे भारत में एक भी नेता ऐसा नहीं जो मंहगाई के प्रचार मे न लगा हो। यहाँ तक कि मनमोहन सिंह भी नहीं। वे भी एक वर्ष पूर्व जब आम उपमोक्ता वस्तुएँ सस्ती थी और लोहा डीजल मंहगा तो वे मंहगाई के बुरे प्रभाव को दूर करने की योजनाएँ बनाते रहते थे। दूसरी ओर आज भी वे मंहगाई को स्वीकार करके उसे घटाने का वादा करते नजर आ रहे हैं। सरकारी कर्मचारी और पूँजीपति तो इसमे लगा ही रहता है। मुख्य प्रश्न यह है कि गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, मुद्रा स्फीति, सेन्सेक्स, विकास दर आदि प्रभावहीन शब्द हैं तो फिर इनके पीछे राजनेता, कर्मचारी, और पूँजीपति का स्वार्थ क्या है? आखिर वे तीनों अलग अलग अथवा मिलकर यह षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं? यह एक गहरे षड्यंत्र का भाग है। इन तीनों का अलग अलग स्वार्थ है। राजनेता के लिये तो सता को बदनाम करने का यह सबसे आसान मार्ग है। भारत मे तो इसका गंभीर परिणाम सिद्ध भी हो चुका है जब टमाटर और प्याज ने भी सरकार बदल दी थी। सतारूढ़ लोग भी इस भ्रम से टकरा नहीं सकते क्योंकि उन्हे भी कभी इसी शब्द का सहारा लेना पड़ा था। इस लिये समाज मे भ्रम दुर होना वे अच्छा नहीं मानते दुसरा समुह है कर्मचारीयों का यदि मंहगाई स्थिर हो जावे तो कर्मचारी वेतन वृद्धि मे घपला नहीं कर सकेंगे। बासठ वर्षों में जिस अनुपात में वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं उसकी अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में वेतन बढ़े। स्वतंत्रता के बाद यदि मंहगाई सत्तर गुनी बढ़ी है तो वेतन इसकी तुलना मे बहुत अधिक बढ़ा है और यह सब घपला हुआ है मंहगाई शब्द की कृपा रही पूँजीपतियों तथा मध्यम वर्ग को दो शब्दों से खास भय था 1 आर्थिक असमानता 2 श्रम मूल्य वृद्धि। हर मध्यम या सम्पन्न वर्ग का व्यक्ति चाहता है कि श्रम मूल्य और आर्थिक असमानता पर ना कोई चर्चा हो ना कोई योजना बने। इन दोनों पर यदि चर्चा हुई तो इन सब पर व्यापक व दीर्घकालिक प्रभाव पड़ना निश्चित है इसलिये वे लोग चाहते हैं कि सम्पूर्ण समाज मंहगाई, गरीबी सेन्सेक्स बेरोजगारी, विकास दर, मुद्रा स्फीति जैसे भावनात्मक और प्रभावहीन शब्दों के साथ खेलता रहे और आर्थिक असमानता श्रम शोषण पर कोई ध्यान न दें।

इन राजनेताओं पूँजीपतियों, सरकारी कर्मचारियों को बुद्धि जीवी वर्ग का भी भरपूर समर्थन प्राप्त होता रहता है क्योंकि यह वर्ग इन तीनों के साथ मिलकर ही लाभ उठाता रहता है। बुद्धिजीवी वर्ग हमेशा कोशिश करता है कि उसे सुविधा राजनेताओं शासकीय अधिकारियों तथा पूँजीपतियों से ही संभव है क्योंकि जिनके पास कुछ है वही तो देगा अन्यथा गरीब ग्रामीण श्रमजीवी उसे क्या और कहाँ से देगा। इसलिये हर बुद्धिजीवी मंहगाई शब्द को विस्तार देता रहता है। हर बुद्धिजीवी लेखक पत्रकार कलाकार को पता है कि किसान बहुत खराब हालत मे है स्वतंत्रता के बाद रूपये के सामान्य मूल्य के अनुपात मे भी गेहूँ का मूल्य सोलह रूपया से कम नहीं होना चाहिये तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये खेती को लाभदायक बनाना ही होगा। खेती भी लाभदायक हो और श्रम शोषण भी न हो इसके लिये कृषि उपज तथा श्रम मूल्य को बढ़ाने के अलावा कोई मार्ग नहीं। किन्तु हर बुद्धिजीवी या शिक्षा मे खर्च बढ़ाने की मांग करता है या तो मंहगाई घटाने की। आवश्यकता यह है कि ऐसे संवेदनशील मुददे पर समाज मे एक सार्थक बहस शुरू हो।

मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आर्थिक समस्याओं पर भ्रम पैदा करने के अन्तर्राष्ट्रीय षड्यंत्र को विफल करने मे आगे आवें और पूँजीवाद साम्यवाद समाजवाद के भ्रामक शब्द जाल की अपेक्षा यथार्थ पर जोर दें जिससे मंहगाई सहित भ्रामक शब्द जाल टूट सके।

प्रश्न — अमेरिका मे शाहरुख खान से पूछताछ पर इतना हल्ला हुआ। आप क्या समझते हैं ?

उत्तर— शाहरुख खान की पूछताछ कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले जार्ज फर्नांडीस या अब्दुल कलाम के मामले मे भी ऐसा ही हो चुका है। यह कोई नया तरीका तो है नहीं।

प्रश्न उठता है कि आप मेरे घर मे आवे और मेरा सुरक्षा गार्ड आपके साथ समानता तथा सामान्य व्यक्ति के समान व्यवहार करे तो मुझे आपत्ति क्यों? सुरक्षा गार्ड को यह हिदायत दी गई कि यदि कोई मुसलमान आवे तो थोड़ी विशेष पूछताछ करो। शाहरुख या अबुल कलाम से इसमे क्या अन्याय हो गया? आज पूरी दुनिया मे मुसलमान संदेह की नजर से देखे जा रहे हैं। यदि शाहरुख को भी मुसलमान होने के कारण सतर्कता बरती गई तो इसमे चिल्लाने की अपेक्षा आत्मनिरीक्षण ज्यादा जरूरी है। किसी को बम्बई मे मकान नहीं मिला तो उसने आसमान सर पर उठा लिया। मुसलमानों पर पूरी दुनिया मे संदेह हो गया है यह बात सच है। इस सच को न

अमेरिका कह रहा है न भारत। न हिन्दू कह रहा है न इसाई। समझ सब रहे हैं। यह बात मुसलमान क्यों नहीं समझता ? यदि कुछ मुसलमान सिर्फ यह घोषित कर दे कि जैसा शिया सुन्नी बहाबी आदि है वैसे ही एक नई जमात बन रही है जिसका नाम है। इस जमात का मुसलमान सब मामलों में तो मुसलमान होगा किन्तु 1 अहिंसक होगा 2 धर्म के नाम पर बने संगठन का सदस्य नहीं होगा 3 धर्म परिवर्तन का समर्थन नहीं करेगा 4 समान नागरिक संहिता को स्वीकार करेगा । 5 एक से अधिक विवाह नहीं करेगा। प्रश्न उठता है कि आपको क्या दिक्कत होगी इससे। यदि नरेन्द्र मोदी को साम्प्रदायिक मानकर विदेश में विशेष व्यवहार संभव है तो मुसलमान होने के कारण पूछताछ में क्या आपत्ति ।

दुख की बात है कि जिस बात को आप अपमान कहते हैं उसके बाद भी वहाँ जाने को लालायित क्यों रहते हैं ? धन कमाना है अमेरिका से। सम्मान और सुविधा लेनी है अमेरिका से। और जॉच से गुजरना हो तो मुसलमान और भारतीय याद आ गये। इस तरह जैसे भारत की जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर किसी सामाजिक काम से भेजा हो। अम्बिका सोनी ने तो और भी कमाल की बात कह दी कि हर अमेरिकी के साथ भी वही व्यवहार होना चाहिये। क्या अम्बिका जी को यह बात कहनी चाहिये थी ? क्या यह कहना उचित है? क्या यह करना संभव है? यदि अमेरिका भी उतावला होकर यही कह दे कि ठीक है आप भी ऐसा करिये तब क्या समाधान हो जायगा ?

अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति है। यदि नियमानुसार पूर्व राष्ट्रपति जॉच से बाहर नहीं है तो अब्दुल कलाम जी को जॉच कराने में अपमान क्या है? अब्दुल कलाम सरीखा आदर्श व्यक्ति राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी नियम विरुद्ध विशेष व्यवहार की अपेक्षा करे यह अच्छी बात नहीं। चाहिये तो यह था कि अबुल कलाम साधारण व्यक्ति के समान व्यवहार करने वाले की यह कहकर प्रशंसा करते कि ऐसा ही समान व्यवहार करने वाले की आदत भारतीय कर्मचारियों को भी डालनी चाहिये। कल्पना करिये कि नेपाल के पूर्व प्रधान प्रचण्ड कहीं जावें तो उन्हें पूर्व प्रधान के नाते छूट मिलनी संभव है? कब कोई व्यक्ति प्रधान है और कब पडयांत्रकारी आतंकवादी इसका निर्णय जॉच कर्ता नहीं कर सकता। इसका निर्णय तो व्यवस्था करेगी। मैं नहीं समझता कि जार्ज, कलाम या शाहरुख को नियम विरुद्ध विशेष व्यवहार की अपेक्षा करनी चाहिये। यदि दुनिया भर में ऐसी समान व्यवस्था बढ़ती है तो यह एक अच्छी बात ही होगी और इसे प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

(ग) श्री वैधनाथ चौधरी, उन्नाव ,बेगूसराय, बिहार

प्रश्न — आपने चुनाव में वोट न डालने के लिये जो तर्क दिये वे संतुष्ट करते हैं ।
गंभीर चर्चा जारी रहनी चाहिये । दो हजार नौ के आम चुनावों ने बाहुबलियों को किनारे किया इतने से ही राजनीति सुधर गई ऐसा मानना भूल होगी । अभी तो राजनीति के शुद्धिकरण का अभियान लम्बे समय तक चलाने की आवश्यकता है ।

बाबा रामदेव की सांसद योग्यता पर भी आपने जो टिप्पणी की है वह बहुत सटीक है शिक्षा को क्षमता के साथ तो तौला जा सकता है किन्तु चरित्र के साथ नहीं जबकि सत्ता के लिये क्षमता से अधिक चरित्र आवश्यक होता है ।

बंग जी इस उम्र में भी सक्रिय है यह आश्चर्यजनक है अन्यथा सर्व सेवा संघ तो ओजहीन होता जा रहा है जो गांधी विनोबा जय प्रकाश के नाम का उपयोग कर रहा है, काम से तो मतलब है नहीं ।

उत्तर— यह विषय बहुत अधिक गंभीर होने से इसकी लम्बी विवेचना करनी आवश्यक है । यह विवेचना बहुत लम्बी भी हो सकती है इसलिये आप पाठक गंभीरता से पढ़ियेगा ।

दो अगस्त को अम्बिकापुर में जर्नलिस्ट एसोसियेशन ने नक्सलवाद पर विचार गोष्ठी में मुझे मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया था जिसमे मैंने तानाशाही और लोकतंत्र की व्याख्या की । तानाशाही में अव्यवस्था नहीं होती । या तो सुव्यवस्था होगी या कुव्यवस्था । आज तक पूरी दुनिया में जहाँ

जहाँ भी तानाशाही रही है वहा कभी अव्यवस्था सुनने को नहीं मिली चाहे वह सदूम की तानाशाही हो या माओत्से तुंग की । नेपाल मे भी जबतक राजतंत्र था तब तक अव्यवस्था नहीं थी ।

लोकतंत्र यदि जीवन पद्धति मे आता है तो व्यवस्था होती है और शासन पद्धति तक आकर सिमट जाता है तो वह विकृत लोकतंत्र होता है जिसका निश्चित परिणाम होता है अव्यवस्था । जीवन पद्धति का लोकतंत्र लोक स्वराज की दिशा मे झुका हुआ होता है और विकृत लोकतंत्र तानाशाही की दिशा मे । पश्चिम के देशो मे आदर्श लोकतंत्र है क्योंकि वह लोक स्वराज की दिशा मे झुका हुआ है जबकि भारत पाकिस्तान , बंगलादेश , इराक नेपाल , श्री लंका , अफगानिस्तान आदि दक्षिण एशिया के देशो मे विकृत लोकतंत्र है जो पश्चिम से आयातित है या थोपा हुआ है । जीवन पद्धति मे लोकतंत्र न आया न आने दिया गया । उसी का परिणाम है इन सभी देशो मे लगातार अव्यवस्था का बढ़ना । अव्यवस्था के दो ही समाधान हैं

1 आदर्श लोकतंत्र अर्थात् लोक स्वराज्य

2 तानाशाही ।

लोकतांत्रिक सरकारें ऐसी अव्यवस्था का समाधान बताती है “विकास ” जबकि विकास अव्यवस्था का समाधान नहीं होता । भारत मे भी लगातार अव्यवस्था बढ़ रही है और सरकारे लगातार विकास के लिये प्रयत्न कर रहीं हैं । लोक स्वराज्य अथवा आदर्श लोकतंत्र की दिशा मे बढ़ने की किसी की कोई रुचि नहीं है । सभी तानाशाही को गालियाँ देकर तानाशाही की दिशा मे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं । इस कोशिश मे इस्लाम , संघ परिवार तथा साम्यवादी संवैधानिक तरीके से तानाशाही की दिशा मे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं तो नक्सलवादी प्रत्यक्ष हिंसा के आधार पर ।

स्पष्ट दिखता है कि यदि भारत मे नक्सलवाद आया तो अव्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो जायगी । चोरी, डकैती , मिलावट , भ्रष्टाचार आतंकवाद अधिकारो की छीना झपटी साम्प्रदायिकता जातीय टकराव आदि या तो बहुत कम हो जायेंगे या शासक तक केन्द्रित हो जायेंगे । दूसरी ओर नक्सलवाद यदि आया तो पूरा समाज गुलाम हो जायेगा । अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहेगी । राजा ही भगवान होगा । और सबसे बुरी बात यह होगी कि ऐसी तानाशाही से मुक्ति या बदलाव का भी हमारे पास या तो कोई मार्ग नहीं होगा या उसके लिये बहुत लम्बा बलिदान आवश्यक होगा । इस तरह ये दोनों ही मार्ग खतरनाक दिखते हैं । वर्तमान अव्यवस्था से हम मुक्ति चाहते हैं और तानाशाही रूपी नक्सलवाद की कल्पना से ही हम सिहर उठते हैं । नक्सलवादी अव्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठा उठाकर वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध वातावरण बनाने मे सक्रिय रहते हैं तो अन्य सभी राजनैतिक दल नक्सलवाद को लोकतंत्र का शत्रु बताकर संभावित तानाशाही के खतरो से सचेत करने मे लगे रहते हैं जबकि सच्चाई यह है कि दोनों ही स्थितियाँ घातक हैं । न अव्यवस्था को लम्बे समय तक झोला जा सकता है न ही तानाशाही को आमंत्रित किया जा सकता है ।

स्वतंत्रता के बाद आज तक कभी इस संबंध मे स्पष्ट विवेचना नहीं हुई या तो गांधी जी इस बात को समझते थे या जय प्रकाश जी । बाकी सब लोग या तो सत्ता से लाभ उठाने की तिकड़म मे लगे रहते थे या सत्ता की चर्चा से भी दूर भागने की कोशिश करते रहते थे । एक पक्ष के प्रबल

संवाहक थे नेहरू आदि तो दूसरे के थे विनोबा जी । बाकी सब तो दोनों में से किसी एक मार्ग के पथिक मात्र थे । भारत की जनता नेहरू जी के मार्गदर्शन में विकृत लोकतंत्र की राह पर चलने लगी और सन दो हजार आठ आते आते नक्सलवाद या अव्यवस्था के बीच खतरा अनुभव करने लगी । तब एकाएक भारत की जनता को आभास हुआ कि यदि भारत इसी तरह विकृत लोकतंत्र की राह पर बढ़ता रहा तो नक्सलवाद रुक नहीं सकता । चरित्र पतन होगा ही और चरित्र पतन के साथ साथ अव्यवस्था भी बढ़नी ही है । इसलिये लोकतंत्र के वर्तमान मार्ग को छोड़कर भारत की जनता ने सीमित तानाशाही की ओर कदम बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर दिया । मैंने अपना वोट इसलिये नहीं दिया क्योंकि मैं तानाशाही के भी विरुद्ध हूँ और अव्यवस्था के भी । किन्तु यदि मैं वोट देता तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, बिहार में नीतिश कुमार, गुजरात में नरेन्द्र मोदी, दिल्ली में शीला दीक्षित और केन्द्र में मनमोहन सिंह जी को ही वोट देता । मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को वोट देने का मतलब है आंशिक तानाशाही का समर्थन क्योंकि वहाँ आंतरिक लोकतंत्र शून्य होकर एक परिवार का शासन है । फिर भी कांग्रेस पार्टी में अन्य केन्द्रीय दलों की अपेक्षा चरित्र अधिक है । संघ परिवार में कांग्रेस की अपेक्षा चरित्र ज्यादा है किन्तु भाजपा में तो पूरी तरह अव्यवस्था ही अव्यवस्था है ।

जिस दल का नेता अपने पद को दल की अमानत न समझकर अपना अधिकार मानता हो वह दल यदि तत्काल डूब जाय तो मुझे खुशी होगी । चूंकि वर्तमान अव्यवस्था और तानाशाही का विकल्प मेरी समझ में लोकराज्य ही है इसलिये मैंने अपना वोट देकर वर्तमान विकृत लोकतंत्र का समर्थन करना ठीक नहीं समझा जबकि बाबा रामदेव जी बिलकुल विपरीत सलाह देते रहे । उनका मानना था कि चरित्रवान लोगों को यदि सत्ता दे दी जाय तो सबकुछ ठीक हो जायेगा । मैं उनके विचार से सहमत हूँ । किन्तु मेरा मानना यह है कि यह मार्ग लोकतंत्र के बिलकुल विरुद्ध और केन्द्रित शासन अर्थात् आंशिक तानाशाही की दिशा वाला है । यदि हमने यह मार्ग पकड़ा तो लाभ तो होगा पर दिशा गलत होगी । इसलिये मैंने अपना मत व्यक्त किया कि हम अव्यवस्था और केन्द्रीयकरण के स्थान पर विकेन्द्रित व्यवस्था या अकेन्द्रित शासन अर्थात् लोकस्वराज्य को ही मजबूत करना शुरू करे ।

लोकस्वराज्य का अर्थ है लोकनियंत्रित तंत्र अर्थात् तंत्र पर लोक का हावी होना । व्यक्ति पर कानून का, कानून पर संसद का, संसद पर संविधान का और संविधान पर लोक का सशक्त होना ही आदर्श लोकतंत्र का मार्ग है । दुर्भाग्य से व्यक्ति पर कानून, कानून पर संसद और संसद पर संविधान का शासन है किन्तु संविधान पर लोक का हस्तक्षेप न होकर उस पर पलटकर संसद का ही अधिकार हो गया और लोक को संसद की नियुक्ति करने तक का आशिक अधिकार तो रहा किन्तु नियंत्रण का अधिकार नहीं रहा । यहीं एक मात्र कारण है कि लोकतंत्र विकृत हो गया । रामदेव जी द्वारा संसद की योग्यता के मामले में शिक्षा को महत्वपूर्ण घोषित करने में कहीं न कही भ्रम हुआ है । शिक्षा और ज्ञान बिलकुल भिन्न योग्यताएँ हैं जो किसी एक व्यक्ति में एक साथ भी हो सकती है और पृथक् पृथक् भी । एक किसान यदि निरक्षर ही हो तो वह अज्ञानी नहीं भी हो सकता है । शिक्षा का संबंध कार्यक्षमता से तो है किन्तु निष्कर्ष निकालने की क्षमता से नहीं । एक आई. ए. एस. शिक्षित तो हो सकता है किन्तु ज्ञान आवश्यक नहीं । कई आई. ए. एस. अशिक्षित

साधु संतो से भी मार्ग दर्शन लेते रहते हैं। इसलिये कार्यपालिका के लिये तो शिक्षा का मापदण्ड का आधार बनाया जा सकता है किन्तु विधायिका के लिये शिक्षा की जगह ज्ञान ही मापदण्ड होना चाहिये जिसका आधार है लोक का विश्वास न की शिक्षा। लोक यदि ज्ञान के साथ साथ शिक्षा को भी आधार बनावे तो भी ठीक है किन्तु लोक की विश्वसनीयता पर कानून द्वारा शिक्षा का आधार थोपना ठीक नहीं। उचित होगा कि रामदेव जी ज्ञान और शिक्षा को अलग अलग समझाने का प्रयास करे।

सर्व सेवा संघ ओजहीन हो रहा है यह बिल्कुल स्पष्ट है। तभी तो बंग जी को इस उम्र में सकिय होने की जरूरत पड़ी। यह सर्व सेवा संघ के लिये कठिन समय है। चिन्ता का विषय ही है कि बंग जी की लोक स्वराज योजना का विरोध करके सरकार की चापलूसी करने का नेतृत्व और किसी संगठन, दल या व्यक्ति ने न उठाकर सर्व सेवा संघ के ही कुछ लोगों ने उठाया और सर्वोच्च सम्मानित प्रमुख, गांधी विनोबा जय प्रकाश के वर्तमान संयुक्त उत्तराधिकारी राहीं जी ने लिया। मैं नहीं सोच पा रहा कि यह पहल बंग जी के विरोध स्वरूप हुई या लोक स्वराज्य योजना के विरुद्ध। यह तो आप लोगों को ज्यादा पता होगा क्योंकि आप लोग सर्वोदय और सर्व सेवा संघ से जुड़े लोग हैं और हमलोग लोक स्वराज्य योजना से जुड़ने वाले। मुझे बंग जी ने कई बार खादी पहनने की सलाह दी और मैंने नहीं मानी। दूसरी ओर बंग जी ने मुझे लोक स्वराज्य के विषय में समझाया और मैंने लोक स्वराज्य का प्रयोग अपने परिवार पर भी लागू किया। आज मैं बंग जी के पीछे इसलिये पागल हूँ कि वे लोक स्वराज्य का मार्ग दर्शन कर रहे हैं। मैं पुनः स्पष्ट कर दूँ कि यदि कोई व्यक्ति लोक स्वराज्य के विरुद्ध वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था का समर्थक है तो मैं उसका आलोचक भी हो सकता हूँ और विरोधी भी और आवश्यकता अनुसार शत्रु भी। कोई व्यक्ति हमे गुलाम बनाकर रखना चाहे तो हम उसका समर्थन तो नहीं कर सकते। वर्तमान मतदान प्रक्रिया उस पर मुहर लगाने के समान ही है। इसलिये मैं बंग जी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक हूँ और मतदान की गुलामी का विरोधी। फिर भी यदि मुझे किसी चुनाव में ऐसा लगा कि कोई बहुत ही गलत आदमी जीतने जा रहा है तो वैसी स्थिति में मैं उस व्यक्ति को हराने में अपना वोट दे भी सकता हूँ। यह सब परिस्थिति पर निर्भर करेगा। यदि किसी चुनाव में कोई लोक स्वराज्य के लिये प्रतिबद्ध दल या व्यक्ति खड़ा हो गया तो मैं विनोबा जी या अन्य गांधीवादियों के समान बाहर न रहकर लोकस्वराज्य समर्थन शक्तियों की संवैधानिक मदद करूगा।

अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राजनीति का शुद्धिकरण कोई आदर्श स्थिति न होकर मजबूरी हो गयी है जो तानाशाही की दिशा भी है और खतरनाक भी। हमारी सारी शक्ति तो लोक स्वराज्य की दिशा में ही लगनी चाहिये किन्तु अस्थाई तौर पर हमने यदि मजबूरी में कुछ कदम उठा लिया तो भिन्न बात है।

(घ) श्री रवीन्द्र सिंह, पत्रकार, संवाद सरोवर, गुना, मध्यप्रदेश

ज्ञानतत्व बराबर मिलता रहता है। अंक एक सौ सतहत्तर मिला। मैं सहमत हूँ कि पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था सत्ता को नियंत्रित करती है और समाजवादी अर्थ व्यवस्था से संचालित होती है। साम्यवाद में फोलिट व्यूरो ही सत्ता और पूँजी दोनों का मालिक बन जाता है। ऐसी स्थिति में क्या

करना चाहिये हिन्दू कोड बिल की आलोचना निर्णयक है। इसने महिलाओं को आगे बढ़ने में सहायता की है। इसने साम्प्रदायिकता को भी कम किया है। आप इस विरोध के पीछे क्यों पड़े हैं? उत्तर — आपने बिल्कुल ठीक व्याख्या की है। आदर्श स्थिति तो सत्ता का अकेन्द्रीकरण है। मजबूरी में सत्ता के विकेन्द्रीकरण को भी स्वीकार कर सकते हैं किन्तु सत्ता का केन्द्रीकरण तो गुलामी के अतिरिक्त कुछ और नहीं हैं। इसके लिये तो बिल्कुल भी सहमत होना संभव नहीं। शक्ति का किसी एक जगह पर इकट्ठा होना उपयोगी कम और खतरनाक अधिक होता है। उचित मार्ग यही है कि शक्ति आवश्यकता से अधिक कही भी एकत्रित न हो। इस आवश्यक शक्ति एकत्रीकरण पर भी समाज का ऐसा नियंत्रण हो कि वह उच्छ्रृंखल न हो। कल्पना करिये कि राज्य के पास ऐसी शक्ति हो गयी। ऐसी राज्य शक्ति के पास ही धन शक्ति का जुड़ना तो और भी घातक हो सकता है। निजीकरण में कुछ दोष भी हो सकते हैं। या तो अर्थव्यवस्था के निजीकरण के उन दोषों को दूर किया जावे अथवा निजीकरण से अच्छा कोई विकल्प खोजा जाय। निजीकरण की अपेक्षा सरकारीकरण तो कई गुना अधिक घातक है। दुर्भाग्य से सरकारीकरण से लाभ उठाने वाले लोग निजीकरण को गाली देने में आगे आगे रहते हैं क्योंकि वे निजीकरण का कोई विकल्प तो बताते नहीं। उनका तो एक ही काम होता है कि निजीकरण का विरोध परोक्ष रूप से सरकारीकरण के पक्ष में ही जायगा। साम्यवादी वामपंथी और कुछ समाजवादी भी इस प्रचार में दिन रात लगे रहते हैं।

निजीकरण का विरोध करने के लिये पूँजीवाद और अमेरिका जैसे शब्दों का प्रयोग लम्बे समय तक एक फैशन बना रहा। भारत में कुछ ऐसा एक पक्षीय प्रचार हुआ कि पूँजीवादी और अमेरिका का समर्थन तो अलग बात रही, समीक्षा करना भी गाली के समान माना जाने लगा। यदि कोई व्यक्ति किसी मुद्दे पर पूँजीवाद, निजीकरण और अमेरिका पर तटस्थ बात बोलने लगे तो कई लोग एक साथ उस पर टूट पड़ते थे और चुप करा देते थे। अमेरिका एक पूँजीवादी देश है। उसने गुप्त रूप से अपने धन के बल पर अपने दलाल बनाये और धीरे धीरे परिस्थितियों को पलट दिया। अब पेशेवर सरकारीकरण समर्थकों की आवाज कमजोर पड़ी है। पूँजीवादी देशों के समक्ष आये आर्थिक संकट के समय एकाएक ऐसे लोग बिलों से बाहर आकर शोर मंचाना शुरू किये थे परन्तु उनके शोर का भारत पर भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। स्वाभाविक ही है कि अब नई स्थिति में पूँजीवाद समाजवाद, सरकारीकरण और निजीकरण, अमेरिका और भारत के विषय में समीक्षात्मक विचार मंथन को छूट मिलेगी। मैं पूरी तरह सरकारीकरण के विरुद्ध हूँ क्योंकि धन का निजी हाथों से इकट्ठा होना एक खतरनाक कार्य है और उसका राज्य के पास इकट्ठा होना तो उससे भी कई गुना अधिक खतरनाक है। इसलिये पूँजीवाद साम्यवाद और समाजवाद पर नयी विवेचना शुरू करनी चाहिये। मैंने हिन्दू कोड बिल के विरोध में कई तर्क दिये थे। यदि आप उन तर्कों पर अपनी समीक्षा लिखते तो अधिक अच्छा होता। मैं अब भी मानता हूँ कि हिन्दू कोड बिल समाज को साम्प्रदायिक पारिवारिक आधार पर तोड़ने का एक योजनावद्ध जहरीला प्रयास था जिसने अपना असर दिखाया भी है। इस बिल ने महिलाओं को आगे बढ़ने में बहुत मदद की है तो मुस्लिम महिलाओं को इस लाभ से वंचित क्यों किया गया? क्या मुस्लिम महिलाएँ भारतीय व्यवस्था का

अंग नहीं हैं ? एक पत्नी का कानून बनवाने के इतने इच्छुक नेता स्वयं एक महिला तक संतुष्ट थे क्यों ? अधिक लिखना ठीक नहीं। हिन्दू कोड बिल के जहरीले प्रभाव पर विस्तृत चर्चा आवश्यक है। यदि आप मेरे कथन से सहमत नहीं तो अपने तर्क लिखिये तो आपको उत्तर मिलेगा। मैं इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना के लिये तैयार हूँ।